[illegible]

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। पत्रावली मे बहस पूर्व मे सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि राजस्व ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 673, 674, 1245, 1246, 1247 के गत खसरा नं0 622, 624, 625, 626, 627 की खातेदारी में जमावन्दी सम्वत 2055–2058 में जरियें शुद्धि पत्र सं0 12 दिनांक 02.12.2004 बालुराम पुत्र अर्जुन के स्थान पर प्रार्थी का नाम दर्ज किया गया। परन्तु दौराने सेटलमेन्ट इस शुद्धि पत्र का अमल दरामद नही हुआ व भूमि बालुराम पुत्र अर्जुन के ही नाम दर्ज रही जो कि गलत है। अतः उक्त त्रुटि को दुरुस्त किया जावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमावन्दी सम्वत 2055–58 प्रस्तुत की है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/4 बालुराम पुत्र अर्जुन के नाम दर्ज है, जबकि मुताबिक शुद्धि पत्र सं0 12 दिनांक 02.12.2004 उक्त 1/4 हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज होना चाहिये। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि अन्य कोई वीपरीत आदेश नही हो तो शुद्धि पत्र सं0 12 दिनांक 02.12.2004 का अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना